न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0–13, बाराबंकी

मूलवाद संख्या–191/2006

राम नेवाज बनाम दाताराम यादव

11.10.2017

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6

उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि जिलाधिकारी महोदय, फैजाबाद के द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को भंग करने के पश्चात कृषि भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को भूमि प्रबन्धक समिति के कर्तव्यों शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करने हेतु नामित किया गया, जिसके अनुपालन में राजस्व निरीक्षक मवई ने कृषि भूमि आवंटन हेतु पूर्व सूचना के मुताबिक दिनांक 09.03.2003 में कुल 75 व्यक्तियों का प्रस्ताव किया गया। उक्त प्रस्ताव में वादी का नाम भी प्रस्तावित था। जांचोपरान्त प्रस्ताव के 48 व्यक्तियों का पटट्ा जिसमें वादी का भी नाम सम्मिलित था, उसे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय रूदौली द्वारा सोमोटो प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 11.05.2003 को कर दिया। सोमोटो प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 11.05.2003 से गाटा संख्या 1509 रकबा 0.241 हे० का पट्टा वादी को मिला, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है। उक्त गाटे के पश्चिम तरफ वादी ने अपने उपयोग हेतु एक छप्पर रख लिया। विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी ने बंजर की जमीन गाटा संख्या 2150 में दीवाल बनाकर छप्पर रख लिया है तथा वादी के पट्टे की जमीन गाटा संख्या 1509 पर जो सड़क के किराने है, दिनांक 10.09.2006 को जबरन कब्जा एवं बोयी फसल गन्ना व धान को जोतकर नष्ट करने एवं वादी की पट्टे की जमीन में अवैध निर्माण करने की धमकी दी। अतः प्रतिवादी को द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा मना किया जाए कि विवादित भूमि में बोई फसल गन्ना व धान को क्षतिग्रस्त न करें तथा छप्पर न गिरावे तथा विवादित गाटा संख्या 1509 रकबा 241 एअर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है, में कोई निर्माण न करें।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति ग–16 प्रस्तुत कर कहा गया है कि विवादित भूमि पर वादी का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं है तथा वादी का कब्जा विवादित भूमि नम्बरी 1509 रकबा 0.241 हे० पर कभी नहीं रहा है। वादी के कथनानुसार विवादित भूमि के पट्टे की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है। विवादित भूमि स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी अपनी जमीन पर काबिज व दखील है तथा उस पर प्रतिवादी छप्पर रखकर रहता है तथा प्रतिवादी का उस पर कब्जा है। किसी प्रकार की फसल वादी की विवादित भूमि पर नहीं रही है। अतः खारिज किया जाये।

वादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी सूची ग–8 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.04.2005 की सत्यप्रतिलिपि ग–9, सूची ग–35 से असल दखलनामा ग–36, सूची ग–43 से उद्धरण खतौनी ग–44, सूची ग–46 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.01.2007 की सत्यप्रतिलिपि ग–47, सूची

ग–55 से खसरा ग–56, रसीद ग–57, ग–58, ग–59, ग–60, ग–61, सूची ग–55/2 से रसीद ग–62 ता ग–71 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादी के द्वारा यह कथन किया गया है कि 48 व्यक्तियों का पटट्ा जिसमें वादी का भी नाम सम्मिलित था, उसे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय रूदौली द्वारा सोमोटो प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 11.05.2003 को कर दिया। सोमोटो प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 11.05.2003 से गाटा संख्या 1509 रकबा 0.241 हे० का पट्टा वादी को मिला, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है। वादी द्वारा उक्त कथन के बावत खतौनी ग–44 दाखिल की गयी है, जिसमें क्रम संख्या 38 पर राम नेवाज पुत्र मोहन लाल का नाम दर्ज है। वादी ने उक्त गाटा संख्या के पश्चिम तरफ छप्पर रख लिया है, जिसकी पुष्टि कमीशन आख्या ग–73 में की गयी है। उक्त आधारों पर वादी का प्रार्थना पत्र ग–6 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 दौरान मुकदमा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दौरान मुकदमा विवादित भूमि अ ब स द में किसी प्रकार का कोई निर्माण न करे और न ही उसमें स्थित छप्पर को गिराए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 25.11.2017 को पेश हो।

(आरती द्विवेदी)
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
कोर्ट संख्या 14, बाराबंकी।